



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

15.10.2025

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 13.10.2025 को थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 16.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.का0 शहजाद थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।



थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद:-

दिनांक 15/16.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मुन्ना पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम मतनावली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 रमाकान्त शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 सुरेन्द्र थाना कांधला जनपद शामली।



थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

दिनांक 15/16.10.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.विशाल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम डुन्डूखेडा थाना कांधला जनपद शामिल ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना कांधला जनपद शामिल ।

2.है0का0 रवि कुमार थाना कांधला जनपद शामिल ।

3.का0 पुष्पेन्द्र थाना कांधला जनपद शामिल ।

4.का0 प्रवेन्द्र थाना कांधला जनपद शामिल ।



थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

दिनांक 15/16.10.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अंकित चौहान पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम डुन्डूखेडा थाना कांधला जनपद शामिल ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री ओंकरानाथ पाण्डेय थाना कांधला जनपद शामिल ।

2.का0 सूर्यप्रताप सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लाए 01 अभियुक्त को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रायपुर में फायर कर जानलेवा हमला करने की घटना में अभियुक्त की निशानदेही पर अवैध हथियार व कारतूस बरामद ।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.09.2025 को वादी श्री बिजेन्द्र पुत्र हरिकिशन निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी जनपद शामली को साथ उसी के गांव के ही सुहेल पुत्र सुलेमान व उसके तीन अन्य साथियों द्वारा गाली गलौच करते हुए फायर कर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में वादी उपरोक्त द्वारा थाना बाबरी पर तहरीर दी गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.09.2025 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण फरीद उर्फ नबील पुत्र सुलेमान व शहजाद पुत्र असगर निवासीगण ग्राम रायपुर थाना बाबरी शामली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

दिनांक 15/16.10.2025 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त सुहेल पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी जनपद शामली को जिला कारागार मुजफ्फरनगर से पीसीआर पर लेकर अभियुक्त की निशानदेही पर उपरोक्त घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है । बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.सुहेल पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी जनपद शामली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुहेल उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 103/2025 धारा 352/109(1)/191(3)/3(5) बीएनएस व 9/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बाबरी जनपद शामली ।

अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर ।

पीसीआर पर लायी पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री राकेश भडाना थाना बाबरी जनपद शामिली ।
- 2.का0 प्रभात कुमार थाना बाबरी जनपद शामिली ।
- 3.का0 सचिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामिली



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 16.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामिली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामिली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा/पौनिया मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.रहीश पुत्र वरीश निवासी ग्राम मलकपुर थाना कैराना जनपद शामिली ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 01 तमंचा/पौनिया मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री महेश कुमार थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 2.है0का0 राहुल थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 3.है0का0 ज्योति प्रकाश थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 4.का0 भानू थाना कैराना जनपद शामिली ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पावटीकलां में हुई चोरी की घटना में वांछित 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से घर से चोरी हुआ सामान एलईडी, पंखा बरामद:-

ज्ञात हो दिनांक 21.09.2025 को वादी रामपाल पुत्र मंगल निवासी ग्राम पावटीकला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा उसके घर से उसके गांव के आंसू उर्फ लेमन पुत्र समेदीन व उसके साथीगण द्वारा घर से सामान चोरी करने के सम्बन्ध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 16.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पावटीकलां में हुई चोरी की घटना में वांछित 02 चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कब्जे से घर से चोरी किया हुआ सामान एलईडी, पंखा बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. आसू उर्फ लेमन पुत्र समेदीन निवासी पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली।
2. साबिर पुत्र समेदीन निवासी पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी किया हुआ 01 एलईडी (छोटी यूनिवर्सल कम्पनी)।
2. चोरी किया हुआ 01 पंखा (स्टैंड फैन)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० श्री यशपाल सिंह थाना कैराना जनपद शामिल ।
- 2.है०का० यतेन्द्र थाना कैराना जनपद शामिल ।
- 3.है०का० नीरज वर्मा थाना कैराना जनपद शामिल ।
- 4.का० अरुण कुमार थाना कैराना जनपद शामिल ।
- 5.का० अजय कुमार थाना कैराना जनपद शामिल ।



थाना थानाभवन/कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 16.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामिल श्री एन०पी० सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन/कैराना पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.रवि पुत्र रामपाल निवासी ग्राम महमूदगढ थाना थानाभवन जनपद शामिल ।
- 2.राजा पुत्र रामपाल शर्मा निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामिल ।



महिला सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई — महिला थाना शामली एवं शक्ति मोबाइल टीम शामली द्वारा एक मनचला गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित "मिशन शक्ति फेज 5.0" के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा जनपद स्तर पर सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.10.2025 को महिला थाना शामली एवं शक्ति मोबाइल टीम शामली द्वारा एक महत्वपूर्ण संयुक्त कार्रवाई करते हुए जैन इंटर कॉलेज शामली में जाने वाली लड़कियों के प्रति अभद्र इशारे करने एवं फब्तियाँ कसने वाले एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना महिला थाना शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. विजय पुत्र प्रदीप निवासी मौहल्ला जैन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

यह कार्रवाई मिशन शक्ति अभियान की सफलता और महिला सुरक्षा के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जनपद शामली की समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील की जाती है कि यदि किसी भी प्रकार की अभद्रता, छेड़छाड़ या अपराध की जानकारी हो तो तत्काल 1090, 112 या निकटतम थाना / महिला हेल्प डेस्क पर सूचना दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन.पी. सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है कि महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस प्रकार की घटनाओं पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

